राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांकः प.26(3)संसद/2019 जयपुर, दिनांक 04 अगस्त, 2022

परिपत्र

प्रेषिति :–

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव।
समस्त प्रमुख शासन सचिव।
समस्त शासन सचिव।

विषय :–आगामी विधान सभा सत्रावधि से ऑनलाईन (डिजीटल) रूप से प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों के उत्तर को ऑफलाईन प्रकिया (हॉर्डकॉपी) के माध्यम से भी विधान सभा को प्रेषित किये जाने की कार्यवाही को समाप्त करने के संबंध में।

राजस्थान विधान सभा द्वारा माननीय मुख्य सचिव महोदया को संबोधित अ.शा. पत्रांकः एफ.33(16)सदन/विस/2019–22/17 दिनांक 21.07.2022 की छाया प्रति संलग्न कर निवेदन है कि राजस्थान विधान सभा द्वारा निम्नांकित तथ्यों से अवगत कराया गया है :–

1. विधान सभा सत्रकाल में प्रकिया नियमों के अन्तर्गत माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों (नियम–131 में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, नियम–295 में **विशेष उल्लेख प्रस्ताव** इत्यादि) को ऑनलाईन (डिजिटल) प्रकियान्तर्गत संबंधित विभागों को प्रेषित किया जाता है। उक्त ऑनलाईन (डिजिटल) रूप से प्रेषित संबंधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 विधानसभा सचिवालय के पत्र (डिजिटल) के साथ–साथ संबंधित विभाग को उनकी डिजिटल आईडी पर भी प्राप्त होते है।
2. शासन के संबंधित विभागों द्वारा प्रकिया के नियम–119, 127 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्तावों के तथ्य 24 घंटे की अवधि, नियम–131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तथ्य 03 दिवस में और नियम–295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तथ्य 07 दिवस की अवधि में विधान सभा सचिवालय को प्रेषित किया जाना होता है और ऐसे प्रस्तावों को जिस दिन ऑनलाईन प्रेषित कर दिया जाता है, उसी दिन से यह अवधि प्रारम्भ मानी जाती है।
3. प्रस्तावों के संबंध में ऑनलाईन प्रकिया शुभारम्भ के समय प्रस्तावों को संबंधित विभागों को ऑनलाईन (डिजिटल) रूप में प्रेषित करने के पश्चात पुष्टि स्वरूप इन प्रस्तावों को ऑफलाईन प्रकियान्तर्गत हॉर्डकॉपी के माध्यम से भी पत्र प्रेषित किये जाते रहे है। हॉर्डकॉपी के रूप में मूल पत्र संबंधित विभाग के शासन सचिव एवं इनकी 03 प्रतियां संबंधित विभाग के माननीय मंत्री के निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग एवं प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री को भी प्रेषित की जाती है।
4. सत्रावधि में प्रस्तावों के संबंध में अब ऑनलाईन प्रकिया सुदीर्घ अवधि से सफलतापूर्वक संचालित हो रही है और इस अन्तराल में तकनीकी रूप से कोई असुविधा/विसंगति प्रकाश में नही आई है।

उक्त स्थिति में, संबंधित विभागों द्वारा **ऑनलाईन प्रेषित किये गये प्रस्तावों के उत्तर को ही ऑफलाईन (हॉर्डकॉपी) प्रकिया के अन्तर्गत भी प्रेषित किये जाने में अनावश्यक रूप से हो रही राजकीय स्टेशनरी/कागज की खपत को समाप्त करने तथा विभागों का समय एवं श्रम की बचत किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा द्वारा आगामी विधान सभा सत्रावधि से ऑनलाईन (डिजीटल) रूप से प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों के उत्तर को ऑफलाईन (हॉर्डकॉपी) के माध्यम से भी विधान सभा सचिवालय को प्रेषित किये जाने की प्रकिया/कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।**

यह भी विदित है कि संबंधित विभागों द्वारा विधान सभा को 20–20 प्रतियों में प्रस्तावों के उत्तर सीधे ही विधानसभा के ऑनलाईन (डिजिटल) पोर्टल पर अपलोड करने के पश्चात् उत्तरों की ऑफलाईन (हार्डकॉपी) प्रतियां विधान सभा सचिवालय को भिजवायी जाती है, जिसकी पृष्ठांकित प्रतिया संसदीय कार्य विभाग को भी भिजवायी जाती है, जिसके आधार पर लम्बित प्रस्तावों की ऑफलाईन मॉनिटरिंग की जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्णय की अनुपालना में ही राजस्थान विधान सभा के आगामी सत्र से संबंधित विभागों से सभी प्रकार के प्रस्तावों के उत्तर की ऑफलाईन (हॉर्डकॉपी) प्रतिया इस विभाग के स्तर पर भी स्वीकार नहीं की जावेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि **माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा लिये गये निर्णयानुसार माननीय विधान सभा सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रकार के प्रस्तावों के उत्तर आगामी विधान सभा सत्र से विधान सभा को ऑनलाईन (डिजीटल) रूप से ही प्रेषित किये जाने तथा प्रस्तावों के उत्तर की ऑफलाईन (हॉर्डकॉपी) प्रतियां विधान सभा सचिवालय एवं संसदीय कार्य विभाग को नहीं भिजवाये जाने हेतु** कृपया अपने अधीनस्थों/संबंधितों को निर्देशित कराया जाना सुनिश्चित करावें तथा इस संबंध में की गयी कार्यवाही की सूचना से इस विभाग को भी अवगत करावें।

कृपया प्रकरण को शीर्षस्थ प्राथमिकता प्रदान करावें।

04/8/22

प्रमुख शासन सचिव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव/निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, संसदीय कार्य विभाग।
3. प्रमुख शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर।
5. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान को संसदीय कार्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

04/8/22

वरि0 शासन उप सचिव

आदेश क्रमांक 4064
दिनांक 27.07.22
संसदीय कार्य विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

फैक्स नं.- 0141-2744333
0141-2744334
दूरभाष नं.- 0141/2744301-320
ई-मेल आईडी. - rajassembly@nic.in

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

प्रेषक :-	प्रेषिति :-
सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर – 302005	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

मुख्य सचिव कार्यालय
राजस्थान, जयपुर
प्राप्ति संख्या 98372
दिनांक 25/07/22

संख्या-एफ.33(16)सदन/विस/2019-22/ 17 जयपुर, दिनांक 21 जुलाई, 2022

विषय- सत्रावधि में माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को ऑनलाईन (डिजिटल) प्रेषण व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निदेशानुसार लेख है कि विधान सभा सत्रकाल में प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों (ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेष उल्लेख इत्यादि) को ऑनलाईन (डिजिटल) प्रक्रियान्तर्गत संबंधित विभाग को प्रेषित किया जाता है। उक्त ऑनलाईन (डिजिटल) रूप से प्रेषित संबंधित प्रस्ताव की पीडीएफ सचिवालय के पत्र (डिजिटल) के साथ विभाग को उनकी डिजिटल आईडी पर प्राप्त होते है।

शासन के संबंधित विभाग द्वारा प्रक्रिया के नियम 119, 127 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्तावों के तथ्य 24 घंटे की अवधि, नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तथ्य तीन दिवस में और **नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव** के तथ्य 07 दिवस की अवधि में **विधान सभा** को प्रेषित किया जाना होता है और ऐसे प्रस्तावों को जिस दिन ऑनलाईन प्रेषित कर दिया जाता है उसी दिन से यह अवधि प्रारम्भ मानी जाती है।

प्रस्तावों के संबंध में उक्त ऑनलाईन प्रक्रिया शुभारम्भ के समय प्रस्तावों को उनके संबंधित विभागों को ऑनलाईन (डिजिटल) रूप में प्रेषित करने के पश्चात पुष्टि स्वरूप इन प्रस्तावों को ऑफलाईन प्रक्रियान्तर्गत हॉर्ड कॉपी के माध्यम से भी पत्र प्रेषित किये जाते रहे है। हार्डकॉपी के रूप में मूल पत्र विभाग के शासन सचिव एवं इनकी 03 प्रतियां संबंधित विभाग के माननीय मंत्री के निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग एवं प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री को भी प्रेषित की जाती है।

चूंकि सत्रावधि में प्रस्तावों के संबंध में अब ऑनलाईन प्रक्रिया सुदीर्घ अवधि से सफलतापूर्वक संचालित हो रही है और इस अन्तराल में तकनीकी रूप से कोई असुविधा/विसंगति प्रकाश में नहीं आई है। उक्त स्थिति में ऑनलाईन प्रेषित किये गये प्रस्तावों को ही ऑफलाईन (हार्डकॉपी) प्रक्रिया के अन्तर्गत भी प्रेषित किये जाने में अनावश्यक रूप से हो रही कागज की खपत को समाप्त किया जाकर समय तथा श्रम की भी बचत किया जा जाना आवश्यक है। इसे मद्देनजर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आगामी विधान सभा सत्रावधि से ऑनलाईन (डिजिटल) रूप से प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों को ऑफलाईन प्रक्रिया के माध्यम से भी प्रेषित किये जाने की कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्णयानुसार आगामी विधान सभा की बैठकों से पूर्व व्यवस्था स्थापित करने बाबत राज्य सरकार के सभी विभागों के अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रसारित करने एवं इस संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराने का श्रम करें।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद शर्मा)
सचिव